



न्यायालय श्रीमान् राजस्व मडल ग्वालयर केम्प सागर म.प्र.

21 निगरानी छतरपुर भू.सं. 2017 3301

देवीप्रसाद तनय विन्दे कुशवाहा

ग्राम वार्ड 9 बिजावर तह. बिजावर

जिला छतरपुर

.....निगरानीकर्ता

विरुद्ध

1. खिलई तनय काशीराम कुशवाहा
2. संतोष तनय काशीराम कुशवाहा
3. ममता पुत्री काशीबाई पत्नि जुगल कुशवाहा
तीनों निवासी वार्ड नं0 9 बिजावर तह. बिजावर
4. श्रीमति ग्यासीबाई पुत्री काशीबाई पत्नि नारायण
निवासी असाटी मुहल्ला, छतरपुर
5. श्रीमति नोनाबाई पुत्री काशीबाई पत्नि परमानदी कुशवाहा
निवासी खैरकी देवी के पास, छतरपुर
6. कौशाबाई पुत्री काशीबाई पत्नि जुगल कुशवाहा
निवासी गायत्री कालोनी, छतरपुर
7. माया पुत्री काशीबाई पत्नि रमेश कुशवाहा
निवासी नट मुहल्ला, छतरपुर
8. रानी पुत्री काशीबाई पत्नि रमेश कुशवाहा
निवासी पठापुर रोड, छतरपुर
9. म.प्र.शासन

.....अनावेदकगण

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू राजस्व संहिता 1959

उपरोक्त नामांकित निगरानीकर्ता न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी बिजावर जिला छतरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 10/अपील/16-17 में पारित आदेश दिनांक 21/6/17 से दुखित होकर निम्न आधारों सहित अन्य आधारों पर अपनी यह निगरानी श्रीमान् के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है :-

166
श्रीमान्

(Handwritten signature and scribble)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक :- एक / निगरानी / छतरपुर / भू.रा. / 2017 / 3301

देवीप्रसाद विरुद्ध खिलई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
22-08-2019	<p>प्रकरण का अवलोकन किया गया। यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बिजावर, जिला-छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 21-06-2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 27-07-2018 को हुये नवीन संशोधन के प्रभावशील दिनांक 25-9-2018 के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(क) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-छतरपुर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 09-10-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	

(जे०के० जैन)
सदस्य